CBI probe against Ministers and Pub. lie men in Bihar

1516. SHRI BHUVNESH CHATURVEDI: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether Government's attention have been drawn to a press report that CBI has launched a probe against some ministers and public men in Bihar for allegedly acquiring wealth not proportionate to their income; and

(b) if so, the details of such a probe and how Government propose to move further in this direction?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS (SHRIMATI MARGARET ALVA): (a) CBI has not undertaken any such probe/enquiring.

(b) Does not arise.

इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड द्वारा उठाया गया घाटा

1517. **डा० अबरार अहमद :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के उपक्रम, इंडियन ड्रग्स एण्ड फ़ार्मास्युटिकल्स लिमिटेड तथा राजस्थान सरकार के एक संयुक्त उपक्रम मैसर्ज राजस्थान ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स जयपुर, को 1990-91 के दौरान घाटा हुआ था; और

(ख) यदि हां, तो यह घाटा कितना था तथा इसके क्या कारण थे और सरकार द्वारा नई औद्योगिक नीति के अंतर्गत इस संबंध में क्या कार्यवाही की जा रही है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिन्ता मोहन) : (क) जी, हां।

(ख) इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स को वर्ष 1990-91 के दौरान 81.99 करोड़ रुपए का घाटा होने का अनुमान है। आई डी पी एल को घाटे होने के मुख्य कारण हैं--क्षमता का कम उपयोग, अधिक वेतन बिल, प्रौद्योगिकी का पुराना होना, भारी ब्याज भार और निश्चित लागत, कच्चे माल/पैकिंग माल की अनुपलब्धता और कार्यशील पूंजी संबंधी रुकावटें।

आई०डी०पी०एल० को 1990-91 वर्ष के दौरान 25.65 लाख रुपये का घाटा होने का अनुमान है। आई०डी० पी०एल० को घाटे होने के मुख्य कारण हैं--कार्यशील पूंजी की कमी, कच्चे माल की अनुपलब्धता, अन्तर्वस्तुओं की लागत में वृद्धि आदि।

आई०डी०पी०एल० के कार्य-निष्पादन में सुधार के उपायों में क्षमता उपयोग को बढ़ाना, निर्यात पर जोर देना, अधिक बिक्री, कार्यकुशलता बढ़ाकर और सेवाओं एवं उपयोगिताओं में बचत करके लागत को कम करना, बकाया राशियों को वसूल करने की पद्धति में सुधार करना और स्वेच्छा से सेवा-निवृत्ति योजना आदि शामिल होंगे।

मध्य प्रदेश में औद्योगिक विकास

1518. **श्री अजीत जोगी :**
कुमारी आलिया :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में विशेषकर आदिवासी जिलों में औद्योगिक विकास के लिये क्या नए कदम उठाये गए हैं; और

(ख) क्या सरकार ने मध्य प्रदेश के आदिवासी जिलों में कोई उद्योग स्थापित किये हैं?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. जे. कुरियन) : (क) और (ख) ग्रामीण, अर्धशहरी तथा आदिवासी क्षेत्रों में उद्योगों का छितराव करने तथा छोटे उद्यमियों को एक ही छत के नीचे

सभी सेवाएं तथा सहायता प्रदान करने के लिए सरकार ने केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना के अंतर्गत जिला उद्योग केंद्रों की स्थापना की है। मध्य प्रदेश में इस प्रकार के 45 जिला उद्योग कार्य कर रहे हैं तथा राज्य के लगभग सभी आदिवासी जिलों में प्रत्येक में एक-एक जिला उद्योग केंद्र हैं।

वर्ष 1989-1991 (जून तक) के दौरान, मध्य प्रदेश के आदिवासी जिलों को 96 आशय पत्र तथा 35 औद्योगिक लाइसेंस जारी किए गए।

राज्यों को आवश्यक वस्तुओं का आबंटन किए जाने संबंधी मानदण्ड

1519. **श्री अजीत जोगी :**

कुमारी आलिया :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्यों को आवश्यक वस्तुओं का आबंटन किए जाने संबंधी मानदण्ड क्या हैं ;

(ख) चालू वर्ष के दौरान प्रत्येक राज्य को प्रत्येक वस्तु की कितनी-कितनी मात्रा आबंटित की गई; और

(ग) मूल्यों में रियायत देने का क्या मानदण्ड है तथा इनमें कितनी रियायत दी जाती है?

नागरिक आपूर्ति और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सलाहुद्दीन अहमद) : (क) केंद्रीय सरकार आबंटन के निम्नांकित मानदण्ड के अनुसार सार्वजनिक वितरण प्रणाली हेतु राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को मुख्य आवश्यक वस्तुएं सप्लाई करती है :

(1) खाद्यान्नों (चावल और गेहूं) का आबंटन, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की मांग, केंद्रीय पूल में स्टाक की स्थिति बाजार में उपलब्ध मात्रा, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को परस्पर आवश्यकताओं और अन्य संबंधित बातों को ध्यान में रखते हुये माहवार-माह आधार पर किया जाता है।

(2) आयातित खाद्य तेल का आबंटन केंद्रीय सरकार के पास भंडार उपलब्ध होने पर किया जाता है।

(3) मिट्टी के तेल का आबंटन सामान्यत: पिछले वर्ष की तदनुरूपी अवधि में किए गए आबंटन पर उचित वृद्धि करके किया जाता है तथा वृद्धि की मात्रा मिट्टी के तेल के आयात के वास्ते विदेशी मुद्रा की उपलब्धता पर निर्भर करती है।

(4) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को लेवी चीनी का आबंटन 1.10.1986 को अनुमानित आबादी के लिए प्रति व्यक्ति प्रति माह 425 ग्राम मात्रा उपलब्ध कराने के समान मानदण्ड पर किया जाता है। तथापि, केंद्रीय सरकार ने सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अगस्त, 1991 से दिसम्बर, 1991 तक के लिए लेवी चीनी के आबंटन में 5% की तदर्थ वृद्धि करने का निर्णय किया है। इसके बाद स्थिति की समीक्षा की जाएगी।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के आबंटन अनुपूरक स्वरूप के होते हैं और इनका उद्देश्य राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की समग्र मांग को पूरा करना नहीं होता।

(ख) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए वितरण के लिए 1991 (अगस्त, 1991 तक) में चावल, गेहूं, आयातित खाद्य तेल, मिट्टी के तेल और लेवी चीनी के राज्यवार आबंटन को दर्शाने वाला एक विवरण दिया गया है।

(ग) केंद्रीय सरकार, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से वितरण के वास्ते केंद्रीय निर्गम मूल्यों पर राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को खाद्यान्नों की आपूर्ति करने में राज सहायता के रूप में बड़ी राशि खर्च करती है। समेकित आदिवासी विकास परियोजना के तहत आने वाले क्षेत्रों और आदिवासी बहुल राज्यों में रहने वाली आबादी के लिए एक योजना के अंतर्गत उन क्षेत्रों में रहने वाले